

In the

Reserve Bank of India
Foreign Exchange Department
Ahmedabad-380009
भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
अहमदाबाद 380009

में उपस्थित / Present जयन्त कुमार दाश / Jayant Kumar Dash मुख्य महाप्रबंधक / Chief General Manager


दिनांक: 27 जुलाई 2018 / July 27, 2018 सेफा.सीओ सं: 10264 / सी.ए.अह: 100 / 2017-18 CEFA.CO.ID.10264 / C.A.No. AHM - 100 / 2017-18 प्रकरण / Matter नेप्रा रिसोर्स मैनेजमेंट प्रा. लि. /

Nepra Resource Management Pvt. Ltd. (CIN: U90001GJ2006PTC049227)

206, कलासागर बिज़नस हब, सत्ताधार चार रास्ता घाटलोडिया, अहमदाबाद 380061 206, Kalasagar Business Hub, Sattadhar Cross Road Ghatlodia, Ahmedabad - 380061

> गुजरात/ Gujarat (आवेदक) / (Applicant)

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 की धारा 15(1) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम/नियम/ अधिसूचना/आदेश द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं यह आदेश पारित करता हूँ :





In exercise of the powers conferred under Section 15(1) of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Regulations/Rules/ Notifications / Orders made there under, I pass the following order:

## आदेश / Order

आवेदक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (फेमा) के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत जारी विनियमों के उल्लंघनों को कंपाउंडिंग करने हेतु दिनांक 1 मई 2018 (भारतीय रिज़र्व बैंक में दिनांक 3 मई 2018 को प्राप्त) को कंपाउंडिंग आवेदन दिया गया है । आवेदक ने अनिवासी को शेयर आबंटन के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक को निर्धारित 30 दिनों से अधिक विलंब से फार्म एफ़सीजीपीआर प्रस्तुत करने के फेमा उल्लंघन के लिए कम्पाउंडिंग का आवेदन दिया है। समय-समय पर संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की अनुसूची 1 के पैरा क्रमश: 9(1)(बी) तथा पैरा 8 [इसके बाद विनियमावली 2000 के रूप में संबोधित] के अनुसार।

The applicant has filed Compounding application dated May 1, 2018 (Received at Reserve Bank of India on May 3, 2018) for compounding of contraventions of the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (the FEMA) and the regulations issued there under. The contravention sought to be compounded is delay beyond 30 days in submission of Form FC-GPR to the Reserve Bank after issue of shares to a person resident outside India; in terms of paragraphs 9 (1) (B) of Schedule 1 to Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 notified, vide Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3<sup>rd</sup> May 2000 and as amended from time to time (hereinafter referred to as Notification No. FEMA 20/2000-RB).

## 2. प्रकरण के प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

आवेदक कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन दिनांक 13 अक्तुबर 2006 को निगमित हुई (CIN: U90001GJ2006PTC049227)। यह कंपनी गैर-खतरनाक अपशिष्ट (वेस्ट) के संग्रह कार्य में कार्यरत है, जिसका एनआईसी कोड 38110 है। आवेदक कंपनी को विदेशी



निवेशक आविष्कार इंडिया II Co. लि., मॉरीशस से स्वचालित मार्ग के अंतर्गत ₹27,85,62,846/- की दस आवक राशि प्राप्त हुई तथा उसे भारतीय रिजर्व बैंक को निम्नानुसार रिपोर्ट किया गया।

The relevant facts of the case are as follows:

The applicant company was incorporated on October 13, 2006 under the provisions of the Companies Act, 1956 (CIN: U90001GJ2006PTC049227). The company is engaged in activity of collection of non-hazardous waste, bearing NIC Code: 38110. The applicant company has received ten inflows amounting to ₹27,85,62,846/- from foreign investor Aavishkaar India II Co. Ltd., Mauritius, under automatic route and reported the same to Reserve Bank of India as indicated below:

3. दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1) (ए)) का उल्लंघन नहीं पाया गया:


Para 9(1) (A) – Schedule 1 of Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000 – Contravention not detected: (तालिका A) (Table -A)

		, , ,		
क्र. सं.	विदेशी आवक विप्रेषण	प्राप्ति की तिथि	आरबीआई को रिपोर्ट	30 दिन के निर्धारित समय को
1	की राशि / Amount	/ Date of receipt	करने की तिथि* /	छोड़कर दिनों में विलंब की
Sr. No.	of foreign inward remittance (₹)		Date of reporting to RBI*	संख्या / Days delay excluding prescribed period
				of 30 days
1	29820000	01.02.2013	19.02.2013	No delay
2	19891806	26.06.2014	14.07.2014	do
3	24875260	16.04.2015	07.05.2015	do
4	19900208	30.06.2015	06.07.2015	do
5	19900208	31.07.2015	01.08.2015	do
6	19900208	09.12.2015	10.12.2015	do
7	14925156	09.06.2016	20.06.2016	do
8	24875000	10.08.2016	02.09.2016	do
9	54725000	29.09.2016	14.10.2016	do
10	49750000	18.01.2017	17.02.2017	do
	278562846			

<sup>\*9(1) (</sup>ए) के अंतर्गत विलंब की गणना करते समय एडी बैंक को आवक राशि रिपोर्ट करने की तिथि माना गया।

4. आवेदक ने ₹27,85,62,846/- की दस आवक विप्रेषण राशि प्राप्ति की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद के क्षेत्रीय कार्यालय को बिना विलंब के सूचित किया। अधिसूचना संख्या फेमा

<sup>\*</sup> The date for calculation of delay under 9(1) (A) taken as date of inflow reporting by Company to AD.





20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9 (1) (ए) के अनुसार, शेयर / परिवर्तनीय डिबेंचर / अनिवार्य परिवर्तनीय प्रेफेरेंस शेयर जारी करने वाली किसी भारतीय कंपनी को इन विनियमों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को यह सूचना निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार आवक राशि की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर देनी होती है। इस प्रकार कंपनी ने 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(ए) के अनुसार निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है।

The applicant company reported the receipt of ten inward remittances amounting to ₹27,85,62,846/- to the Ahmedabad Regional Office of the Reserve Bank of India without delay. In terms of paragraph 9(1) (A) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB, an Indian company issuing Shares / Convertible Debentures / Compulsorily Convertible Preference Shares (CCPS) in accordance with these Regulations should report to the Reserve Bank of India as per the prescribed procedure not later than 30 days from the date of receipt of the amount of consideration. Thus the company does not stand to contravene the provisions stipulated in paragraph 9(1) (A) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000.

5. आवेदक ने इक्विटी शेयर आबंटित किए तथा निम्नानुसार एफ़सीजीपीआर फ़ाइल की: The applicant allotted equity shares and filed FC-GPRs as stated below:

3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी) का उल्लंघन पाया गया।



Para 9(1) (B) – Schedule 1 of Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000 –Contravention detected: (तालिका-B) (Table - B)

क्र.	जारी किए	शेयर/सीसीपीए	शेयर/सीसीपीएस	आरबीआई को	30 दिन के निर्धारित
सं.	शेयर /	स की राशि	जारी करने की	एफ़सीजीपीआर	समय को छोड़कर दिनों
	सीसीपीएस	Amount of	तिथि/	प्रस्तुत करने की	में विलंब की संख्या /
Sr. No.	की संख्या	shares/	Date of issue	तिथि *	Days delay excluding
140.	No of	CCPS	of shares/	Date of	prescribed period of
	shares/	(₹)	CCPS	submission of	30 days
	CCPS issued			FC-GPR to RBI	
1	33046	29807492	12.02.2013	28.02.2013	No Delay
2	22053	19891806	27.06.2014	22.07.2014	No Delay
3	16945	24875260	16.04.2015	07.05.2015	No Delay
4	13556	19900208	02.07.2015	21.07.2015	No Delay
5	13556	19900208	01.08.2015	13.08.2015	No Delay
6	13556	19900208	09.12.2015	28.12.2015	No Delay
7	24875	24875000	11.08.2016	08.09.2016	No Delay
8	49750	49750000	18.01.2017	17.02.2017	No Delay
	Total A	20890182			
9	10167	14925156	09.06.2016	02.09.2016	55 Days
10	54725	54725000	29.09.2016	16.01.2018	444 Days
	Total B	69650156			
	G. Total (A+B)**	278550338			

<sup>\* 9(1) (</sup>बी) के अंतर्गत विलंब की गणना करते समय एडी बैंक को रिपोर्ट करने की तिथि माना गया।

6. उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि आवेदक ने ₹6,96,50,156/- की राशि के दो फार्म एफ़सीजीपीआर 55 से 444 दिनों के विलंब से, निर्धारित 30 दिनों की समय सीमा के बाद फ़ाइल किया है । जबिक 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी) के अनुसार शेयर / सीसीपीएस जारी करने वाली किसी भारतीय कंपनी को इन विनियमों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को एफ़सीजीपीआर प्रारूप में उसमें निर्धारित दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट विदेशी निवेशक को शेयर आबंटन करने के 30 दिनों के अंदर किया जाना होता है । इस प्रकार कंपनी ने 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी) के अनुसार निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

<sup>\*</sup> For calculation of days of delay under 9(1)(B) date of reporting to AD bank is taken as reporting to RBI.

<sup>\*\* ₹12,508/-</sup> की अधिक आवक राशि को नजरअंदाज किया गया है।

<sup>\*\*</sup> Excess inflow amount of ₹12,508/- has been ignored.



As indicated in the table above, the applicant has filed two form FC-GPRs amounting to ₹6,96,50,156/- with a delay ranging from 55 to 444 days beyond the prescribed timeline of 30 days. Whereas, in terms of paragraph 9(1) (B) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB, an Indian company issuing shares / CCPS in accordance with these Regulations has to submit to the Reserve Bank of India a report in form FC-GPR, along with documents prescribed therein, within 30 days from the date of issue of shares to the overseas investor. Thus, the company stands to contravene the provisions stipulated in Paragraph 9(1) (B) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000- RB dated May 3, 2000.

7. आवेदक को दिनांक 25 जुलाई 2018 के हमारे पत्र संख्या एफ़ई.अह. 136/06.04.15 (A)/CEFA/ 2018-19 द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में स्वयं उपस्थित होकर तथा/ अथवा दस्तावेज यदि कोई हो, प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए एक अवसर दिया गया। व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 27 जुलाई 2018 को आवेदक उपस्थित रहे सुनवाई के दौरान कंपनी के डाइरेक्टर श्री संदीप पटेल एवं श्री राम परीख ने आवेदक का प्रतिनिधित्व किया। आवेदक के प्रतिनिधि ने माना कि उनसे उपर्युक्त स्पष्ट किए गए उल्लंघन हुए हैं जिनके लिए माफी मांगी गई और कहा कि गैर-अनुपालन जानबूझकर नहीं किया गया है और कंपनी की ओर से अनजाने में त्रुटि हुई थी और कंपनी उसके लिए खेद प्रदर्शित करती है तथा उदार दृष्टिकोण रखने के लिया प्रार्थना करती है । वे अपने आवेदन के संबंध में कंपाउंडिंग प्राधिकारी के किसी भी निर्देश/ आदेश को स्वीकार करने को तैयार हैं।

The applicant was given an opportunity for personal hearing vide our letter FE.AH.No. 136/06.04.15 (A) /CEFA/2018-19 dated July 25, 2018 for further submission in person and/or producing documents, if any, in support of the application. The applicant appeared for the personal hearing on July 27, 2018 during which the Director of the Company Shri Sandeep Patel and Shri Ram Parikh represented the applicant. They admitted to the contraventions for which compounding has been sought and stated that the non-compliance was not intentional and was an inadvertent error on the part

FED, Ahmedabad CEFA.CO.ID.10264/C.A. No.AHM-100/2017-18: Nepra Resource Management Pvt. Ltd.




of the Company and they deeply regret for the delay caused and requested to take lenient view. They also stated that they are willing to accept any direction/ order of the Compounding authority in connection with their compounding application.

8. आवेदक के प्रतिनिधि ने प्रार्थना की कि उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए आवेदन के निपटान में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए। अतः कम्पाउंडिंग के लिए किए गए आवेदन पर आवेदक द्वारा किए गए प्राक्कथनों तथा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा इस संबंध में किए गए प्रस्तुतिकरणों के आधार पर विचार किया गया है।

The representative of the applicant requested that in view of the foregoing, a lenient view may be taken in disposal of the application. The application for compounding is, therefore, being considered on the basis of the averments made in the application as well as other documents and submissions made in this context by the applicant during personal hearing and thereafter.

9. दिनांक 1 मई 2018 के कंपाउंडिंग आवेदन में आवेदक द्वारा यह घोषित किया गया है कि आवेदन में दिया गया विवरण उनकी श्रेष्ठ समझ एवं मान्यता के अनुसार सत्य एवं सही है। कंपाउंडिंग आवेदन (अड्डेनडम) के साथ दी गई दिनांक 15 मई 2018 की अंडरटेकिंग में आवेदक ने यह घोषित किया है कि आवेदन की तिथि को किसी भी एजंसी द्वारा उनके विरुद्ध कोई भी जांच/जांच-पइताल/अधिनिर्णयन नहीं किया जा रहा था तथा इस संबंध में आवेदक ने तत्पश्चात किसी भी एजंसी द्वारा उनके विरुद्ध कोई भी जांच/जांच-पइताल/अधिनिर्णयन प्रारम्भ होने की सूचना नहीं दी है। आगे यह भी घोषित किया गया है कि आवेदक ने फेमा, 1999 की धारा 17 अथवा 19 के तहत कोई भी अपील नहीं की है। तदनुसार, उक्त उल्लंघन जो कि इस आदेश में कम्पाउण्ड किए जा रहें हैं वे आवेदक द्वारा दी गई उक्त घोषणा की सच्चाई के अधीन है तथा यह आदेश वर्तमान क़ानूनों के तहत किसी भी प्राधिकरण द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के प्रति पूर्वग्रह के बिना है और अगर तत्पश्चात उक्त घोषणा झूठी एवं गलत होने का पता चलता है तो प्राधिकरण द्वारा वर्तमान कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।





It has been declared in the compounding application dated May 1, 2018 that the particulars given by the applicant in the application are true and correct to the best of their knowledge and belief. It has been declared in the undertaking dated May 15, 2018 furnished with the compounding application (addendum) that the applicant was not under any enquiry / investigation / adjudication by any agency as on the date of the application and has, in this regard, not informed of initiation of any such enquiry /investigation / adjudication proceedings against it/him/her thereafter. It has further been declared that the applicant has not filed any appeal under section 17 or section 19 of FEMA, 1999. Accordingly, the above contraventions which are being compounded in this Order are subject to the veracity of the above declarations made by the applicant and this order is without prejudice to any other action which may be taken by any authority under the extant laws if the said declarations are subsequently discovered to be false and/or incorrect.

10. मैंने रेकॉर्ड में उपलब्ध दस्तावेजों तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान तथा तद्पश्चात आवेदक द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। मेरे अनुसार आवेदक ने निम्नलिखित फेमा प्रावधानों का निम्नानुसार उल्लंघन किया है:

I have given my careful consideration to the documents on record and submission made by the applicant during the personal hearing and thereafter. Accordingly, I hold that the applicant has contravened the following FEMA provisions issued in terms of:

ए) 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी) का उल्लंघन : उक्त के पैरा 6 में दिये विस्तृत ब्योरे के अनुसार भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों को शेयर /सीसीपीएस जारी करने के बाद फार्म एफ़सीजीपीआर प्रस्तुत करने में विलंब इस उल्लंघन के लिए उल्लंघन राशि ₹6,96,50,156/- है तथा विलंब की अविध लगभग 55 से 444 दिनों की है।

Paragraph 9(1) (B) of Schedule 1 of FEMA Notification FEMA 20/2000 – RB dated May 3, 2000: Due to delay in submission of form FC-GPR, after issue of shares /

FED, Ahmedabad CEFA.CO.ID.10264/C.A. No.AHM-100/2017-18: Nepra Resource Management Pvt. Ltd.




CCPS to persons resident outside India as detailed in paragraph 6 above. The amount involved is ₹6,96,50,156/- and the delay is for approximately 55 to 444 days.

11. फेमा की धारा 13 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति फेमा प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो न्यायिक प्रक्रिया के बाद वह उल्लंघन राशि के तीन गुना तक के दंड के लिए उत्तरदायी होगा। परंतु ऊपर के पैरा में उल्लिखित मामले की परिस्थितियों तथा संबंधित साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उनके आधार पर मैं उल्लंघनों को कम्पाउंड करने की राशि के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य हूँ तथा मानता हूँ कि दंड की राशि ₹81,000/- (इक्यासी हज़ार रुपए मात्र) न्याय की अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

In terms of Section 13 of the FEMA, any person contravening any provision of the Act shall be liable to a penalty up to thrice the sum involved in such contravention upon adjudication. However, taking into account the relevant facts and circumstances of the case as stated in the foregoing paragraphs, I am persuaded to take a lenient view on the amount for which the contraventions are to be compounded and therefore, I consider that amount of penalty of ₹81,000/- (Rupees Eighty One thousand only) will meet the ends of justice.

12. तदनुसार, फेमा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम 2000 के अंतर्गत ₹81,000/- (इक्यासी हज़ार रुपए मात्र) की राशि के भुगतान पर मैं उपर्युक्त चर्चित तथ्यों पर आवेदक द्वारा माने गए उल्लंघनों, यथा 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी) के उल्लंघन, को कम्पाउण्ड करता हूँ । इस आदेश के 15 दिन के भीतर आवेदक को "भारतीय रिजर्व बैंक" के पक्ष में दंडात्मक राशि ₹81,000/- (इक्यासी हज़ार रुपए मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, ला गज्जर चेंबर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद 380009 के पास जमा करना होगा। निर्धारित अविध के भीतर दंडात्मक राशि को जमा नहीं करने पर विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) दिनांक 3 मई 2000 के नियम 10 लागू होंगे।





Accordingly, I compound the admitted contraventions, namely contravention of paragraph 9(1) (B) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 03, 2000, by the applicant, on the facts discussed above in terms of the Foreign Exchange (Compounding Proceedings) Rules, 2000, on payment of an amount of ₹81,000/- (Rupees Eighty One thousand only) which shall be deposited by the applicant with the Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department, La-Gajjar Chambers, Ashram Road, Ahmedabad −380 009, by a demand draft drawn in favour of the "Reserve Bank of India" and payable at Ahmedabad within a period of 15 days from the date of this order. In case of failure to deposit the compounded amount within the above mentioned period, Rule 10 of the Foreign Exchange (Compounding Proceedings) Rules, 2000 dated May 3, 2000 shall apply.

आवेदन तदनुसार निपटाया गया । The application is disposed of accordingly.

दिनांक: 27 जुलाई 2018 को जारी Dated the 27<sup>th</sup> day of July, 2018.

Sd/-

(जयन्त कुमार दाश / Jayant Kumar Dash) म्ख्य महाप्रबंधक / Chief General Manager